प्राचीन मूर्तियों की चोरी

1372. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं में बढ़ौतरी होने से भारतीय संस्कृति को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मूर्तियों की चोरी हुई/कितने व्यक्ति मूर्तियों की तस्करी करते हुए पकड़े गये;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारती पुरातत्व सर्वेक्षण के बहुत सारे कर्मचारी इस प्रकार की चोरियों में शामिल होते हैं या इस प्रकार की चोरियां उनकी सांठ-गांठ से हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश के विभिन्न स्थानों पर मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं की सूचनाएं राज्य और केन्द्रीय, दोनों सरकारों की विभिन्न जांच एजेंसियों के ध्यान में लाई गई हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राजस्व गुप्तचर निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों से पता चलता है कि मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं में कमी आई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ने चोरी के 11 मामले दर्ज किए हैं, कुल 126 मूर्तियों को पुनः प्राप्त किया है तथा 20 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । 20-11-1992 को राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने एअर कार्गो काम्पलेक्स, दिल्ली में पुरातत्व संबंधी 18 वस्तुएं पकड़ी थीं और तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए थे ।

(ग) पुरावस्तुओं की चोरियां और तस्करी रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए हैं :—

(i) पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में दिए गए सभी रोधी उपायों तथा उनके अधीन बने नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है ।

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी महत्वपूर्ण स्मारकों को तथा स्थल संग्रहालयों को उनको अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक पुरातत्व पक्ष कार्य कर रहा है, जो विशेष रूप से पुरा-वस्तुओं की चोरी एवं हानि के मामलों को देखता है । देश के सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर तैनात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी पुरावस्तुओं के अवैध निर्यात को रोकने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की मदद करते हैं ।

(घ) जी, नहीं । अभी तक ऐसी चोरियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों के शामिल होने के ऐसे किसी मामले का पता नहीं है अथवा किसी जांच एजेंसी द्वारा सूचना नहीं दी गई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation to ensure Property Rights of Women

1373. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :